

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अप्रैल 2023—वैशाख 7, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2023

आदेश

क्र. एफ ए 3-01-2022-1-पांच (14).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) एवं धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए अतिरिक्त अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है, तथा क्षेत्र के उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन अपील प्रकरणों के निर्वर्तन की शक्तियाँ प्रदान करती है, यह उत्तरदायित्व उनके वर्तमान उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त होगा :—

सारणी

अ. क्र. (1)	नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	परिक्षेत्र का नाम (3)
01	श्री मिर्रा कुम्हार, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर	इन्दौर परिक्षेत्र-एक
02	श्री नारायण मिश्र, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर	भोपाल परिक्षेत्र
03	श्री आर. के. शर्मा, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर	ग्वालियर परिक्षेत्र
04	श्री मनोज कुमार चौबे, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर	इन्दौर परिक्षेत्र-दो
05	श्री धर्मपाल शर्मा, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर	जबलपुर परिक्षेत्र
06	श्रीमती इन्दु जैन, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर	जबलपुर परिक्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2023

क्र. एफ ए 3-01-2022-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-01-2022-1-पांच (14), दिनांक 27 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 27<sup>th</sup> April 2023

ORDER

No. F A 3-01-2022-1-V (14).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 and Section 3-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, appoints the Officers mentioned in Column (2) of the table below as Additional Appellate Authority for the area specified in column (3) and confers the powers to dispose off the Appeal cases Under section 46 of the said act in the area. This responsibility shall be in addition to their present responsibilities :—

TABLE

S. No. (1)	Name, Designation and present posting (2)	Name of Zone (3)
01	Shri Mirra Kumhar, Addl. Commissioner, Commercial Tax, Head Office, Indore.	Zone Indore-1
02	Shri Narayan Mishra, Addl. Commissioner, Commercial Tax, Head Office, Indore.	Zone Bhopal
03	Shri R. K. Sharma, Addl. Commissioner, Commercial Tax, Head Office, Indore.	Zone Gwalior
04	Shri Manoj Kumar Choubey, Addl. Commissioner, Commercial Tax, Head Office, Indore.	Zone Indore-2
05	Shri Dharmpal Sharma, Addl. Commissioner, Commercial Tax, Head Office, Indore.	Zone Jabalpur
06	Mrs. Indu Jain, Addl. Commissioner, Commercial Tax, Head Office, Indore.	Zone Jabalpur

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.